न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2016/00228

लटूर आत्मज किशना आयु 60 साल जाति मेघवाल निवासी उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. कंचन बाई पुत्री किशना पत्नी चौथमल आयु 40 वर्ष जाति मेघवाल निवासी उकल्दा तहसील दीगोद हाल निवासी राजनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2. हनुमान आत्मज किशना जाति मेघवाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
   2/1. त्रिलोक आत्मज हनुमान ।
   2/2. गोलू आत्मज हनुमान नाबालिग।
   2/3. चेतन आत्मज हनुमान नाबालिग जरिये वलिया माता मंजू बेवा हनुमान ।
   2/4. मंजू बेवा हनुमान जाति मेघवाल निवासी उकल्दा ।
   2/5. राजेश पुत्री हनुमान पत्नी कुलदीप जाति मेघवाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील दीगोद ।
3. गोरधन आत्मज किशना जाति मेघवाल निवासी उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी बोरखेडा कोटा ।
4. पुष्पा बेवा किशना जाति मेघवाल निवासी उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा
5. रतन लाल आत्मज मोडू (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
   5/1. महावीर आत्मज रतन लाल
   5/2. मन्नालाल आत्मज रतन लाल
   5/3. सोहन बाई पुत्री रतन लाल ।
6. रामकरण आत्मज मोडू जाति मेघवाल निवासी राजनगर ।
7. मूल चन्द आत्मज मोडू जाति मेघवाल निवासी उकल्दा ।
8. केली पुत्री मोडू पत्नी लटूरलाल जाति मेघवाल निवासी चावण्ड हेडी ।
9. आनन्दी पुत्री मोडू पत्नी गणेश राम जाति मेघवाल निवासी सुहाना ।
10. उर्मिला पुत्री मोडू पत्नी गोविन्दा जाति मेघवाल निवासी ताथेड तहसील लाडपुरा ।
11. नवल किशोर आत्मज जगन्नाथ ।
12. गिर्राज आत्मज जगन्नाथ ।
13. सुरेश आत्मज जगन्नाथ ।
14. रामावतार आत्मज जगन्नाथ जाति मेघवाल निवासीगण उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
15. सुमित्रा पुत्री जगन्नाथ पत्नी कन्हैया लाल जाति मेघवाल निवीस गंगाईचा तहसील लाडपुरा ।

16. निर्मला पुत्री जगन्नाथ पत्नी बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी उकल्दा तहसील दीगोद ।
17. मनभर पुत्री जगन्नाथ जाति मेघवाल निवासी कापरेन जिला बून्दी ।
18. नट्टी बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी केदार लाल जाति मेघवाल निवासी नाथू बलाई की झौपडियॉ तहसील दीगोद जिला कोटा ।
19. रामी बाई बेवा जगन्नाथ जाति मेघवाल निवासी उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
20. चतुर्भुज आत्मज कालू जाति धोबी निवासी उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा
21. कमला बाई पुत्री अमरलाल जाति बलाई ।
22. ज्योति बाई पुत्री अमर लाल जाति बलाई निवासीगण कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
23. महावीर प्रसाद आत्मज लटूर जाति मेघवाल ।
24. जितेन्द्र कुमार आत्मज लटूर जाति मेघवाल निवासीगण उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
25. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 2016/00229

लटूर आत्मज किशना आयु 60 साल जाति मेघवाल निवासी उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. कंचन बाई पुत्री किशना पत्नी चौथमल आयु 40 वर्ष जाति मेघवाल निवासी उकल्दा तहसील दीगोद हाल निवासी राजनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2. हनुमान आत्मज किशना जाति मेघवाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. त्रिलोक आत्मज हनुमान ।
   2/2. गोलू आत्मज हनुमान नाबालिग।
   2/3. चेतन आत्मज हनुमान नाबालिग जरिये वलिया माता मंजू बेवा हनुमान ।
   2/4. मंजू बेवा हनुमान जाति मेघवाल निवासी उकल्दा ।
   2/5. राजेश पुत्री हनुमान पत्नी कुलदीप जाति मेघवाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील दीगोद ।
3. गोरधन आत्मज किशना जाति मेघवाल निवासी उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी बोरखेडा कोटा ।
4. पुष्पा बेवा किशना जाति मेघवाल निवासी उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा

5. रतन लाल आत्मज मोडू (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   5/1. महावीर आत्मज रतन लाल
   5/2. मन्नालाल आत्मज रतन लाल
   5/3. सोहन बाई पुत्री रतन लाल ।
6. रामकरण आत्मज मोडू जाति मेघवाल निवासी राजनगर ।
7. मूल चन्द आत्मज मोडू जाति मेघवाल निवासी उकल्दा ।
8. केली पुत्री मोडू पत्नी लटूरलाल जाति मेघवाल निवासी चावण्ड हेडी ।
9. आनन्दी पुत्री मोडू पत्नी गणेश राम जाति मेघवाल निवासी सुहाना ।
10. उर्मिला पुत्री मोडू पत्नी गोविन्दा जाति मेघवाल निवासी ताथेड तहसील लाडपुरा ।
11. नवल किशोर आत्मज जगन्नाथ ।
12. गिर्राज आत्मज जगन्नाथ ।
13. सुरेश आत्मज जगन्नाथ ।
14. रामावतार आत्मज जगन्नाथ जाति मेघवाल निवासीगण उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
15. सुमित्रा पुत्री जगन्नाथ पत्नी कन्हैया लाल जाति मेघवाल निवीस गंगाईचा तहसील लाडपुरा ।
16. निर्मला पुत्री जगन्नाथ पत्नी बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी उकल्दा तहसील दीगोद ।
17. मनभर पुत्री जगन्नाथ जाति मेघवाल निवासी कापरेन जिला बून्दी ।
18. नट्टी बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी केदार लाल जाति मेघवाल निवासी नाथू बलाई की झौपडियॉ तहसील दीगोद जिला कोटा ।
19. रामी बाई बेवा जगन्नाथ जाति मेघवाल निवासी उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
20. चतुर्भुज आत्मज कालू जाति धोबी निवासी उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा
21. कमला बाई पुत्री अमरलाल जाति बलाई ।
22. ज्योति बाई पुत्री अमर लाल जाति बलाई निवासीगण कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
23. महावीर प्रसाद आत्मज लटूर जाति मेघवाल ।
24. जितेन्द्र कुमार आत्मज लटूर जाति मेघवाल निवासीगण उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
25. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री उत्पल शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से दोनों अपीलों में

निर्णय

दिनांकः 20.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03.08.2012 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.12.2014 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा एक वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा एक अपील प्रारम्भिक डिक्री की होने तथा दूसरी अंतिम डिक्री की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद में कुल 06 किता की 4.31 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि में वादिनी, प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 19 का 1/2 हिस्सा दर्ज है । उक्त भूमि में वादिनी के भाई हनुमान प्रतिवादी क्रम 01 ने अपने 1/2 हिस्से में से प्राप्त 1/5 हिस्से की भूमि को यानी कुल भूमि में से 1/10 हिस्से की भूमि को वादिनी को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज रिलीजडीड दिनांक 18.07.2005 से वादिनी को हक त्याग कर दिया । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में वादिनी का 1/5 हिस्सा है तथा प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 4 का 3/10 हिस्सा है । रिलीजडीड का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में हो चुका है तथा वादिनी 1/5 हिस्से की खातेदार काबिज काश्तकार चली आ रही है । वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करावे और अपने हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि को अपने पृथक खाते में दर्ज करावे । इसके अलावा इसी ग्राम उकल्दा तहसील दीगोद में कुल 10 किता की 6.88 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पूर्व में लटूर, कंचन, पुष्पा, हुनमान, गोरधन के नाम दर्ज थी । हनुमान व गोरधन द्वारा उक्त भूमि में से आंशिक भूमि को प्रतिवादी क्रम 20 लगायत 24 को बेचान कर दिया और उसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज है । वादपत्र की मद संख्या 04 में वर्णित भूमि में वादिनी का 1/5 हिस्सा है तथा वादिनी 1/5 हिस्से की खातेदार काबिज काश्तकार चली आ रही है । उक्त भूमि का भी विभाजन नहीं हुआ है वादिनी उक्त भूमि का विधिवत विभाजन कराने की अधिकारी है । उक्त भूमि का भी विधिवत विभाजन किया जाकर वादिनी को उसके हिस्से में प्राप्त होने वाली 1/5 हिस्से को वादिनी के पृथक खाते में दर्ज किया जावे तथा पृथक लगान कायम किया जावे।

4. अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की मद संख्या 1 एवं 4 में वर्णित आराजी का विधिवत विभाजन किया जाकर वादिनी को उसके 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए उनका हिस्सा पृथक से दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादिनी को उसके हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें, उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द एवं बेचान, अन्तरण नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.08.2012 के द्वारा वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर निर्णय दिनांक 02.12.2014 के द्वारा अंतिम डिक्री पारित की ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03.08.2012 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.12.2014 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 02 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में दोनों अपीलें प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादिनी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित करते समय विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री 03.08.2012 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.12.2014 निरस्त फरमाये जावें ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय एकतरफा पारित किया है । माह जून, 2016 में वादिनी ने अपीलान्ट को दावा जीतने व अपीलान्ट के कब्जे की भूमि को उसके खाते दर्ज होने व अपीलान्ट को बेदखल करने की धमकी दी गई जिस पर अपीलान्ट ने न्यायालय में तलाश किया तो उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई और दिनांक 19.08.2016 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत और दिनांक 21.09.2016 को नकल प्राप्त कर ये दोनों अपीलें न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई हैं । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. दोनों अपीलों के विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में दिनांक 03.08.2012 को प्रारम्भिक डिक्री और दिनांक 02.12.2014 को अंतिम डिक्री पारित की है । आराजी अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट कम 01 लगायत 24 के शामिल खाते की है । दिनांक 03.05.2010 को प्रतिवादी कम 1 लगायत 20 व 23, 24 के खिलाफ व दिनांक 26.04.2012 को प्रतिवादी संख्या 21 व 22 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई और दावा वादी दिनांक 03.08.2012 को स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की । अपीलान्टगण को विधि सम्मत रूप से तामील नहीं करवायी गई थी । सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । वादिनी का आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है इसके बावजूद विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है जो त्रुटिपूर्ण है । अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व मौके पर कब्जे का ध्यान नहीं रखा गया है। खसरा नम्बर 589, 721, 726 की आराजी पर अपीलान्ट कम 02 का कब्जा चला आ रहा है जिसका ध्यान अंतिम डिक्री में नहीं रखा गया है । अपीलान्ट को विभाजन प्रस्ताव के समय उपस्थित होने के लिए कोई सूचना नहीं दी गई । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03.08.2012 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.12.2014 निरस्त फरमाये जावें ।

10. दोनों अपीलों में रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की है और तहसील से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की है । अपीलान्टगण को विधि सम्मत रूप से तामील करवायी गई थी । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03.08.2012 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.12.2014 बहाल रखे जावें ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम दोनों अपीलों में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर दोनों अपीलों में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 03.08.2012 को विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । संलग्न नकल जमाबन्दी प्रदर्श– पी–1 के अनुसार कुल 06 किता की 4.31 हैक्टर आराजी में लटूर, गोरधन, हनुमान पुत्र और कंचन बाई पुत्री एवं पुष्पा बाई बेवा किशना का 1/2 हिस्सा दर्ज है और इसमें नामान्तरकरण संख्या 392 का नोट अंकित है जिसके अनुसार हनुमान के द्वारा अपना 1/10 हिस्सा बहिन कंचनबाई के पक्ष में त्याग किया गया है तद्नुसार लटूर, गोरधन पुत्र और पुष्पा बाई बेवा किशना का 3/10 हिस्सा और कंचन बाई का 1/5 हिस्सा दर्ज किया गया है और इसी हिस्से के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है । नकल जमाबन्दी प्रदर्श– पी–2 संलग्न है जिसके अनुसार 10 किता की 6.88 हैक्टर आराजी में लटूर, कंचन बाई और पुष्पा बाई का 3/5 हिस्सा दर्ज है और शेष आराजी अन्य प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है तद्नुसार इस आराजी में वादिनी का 1/5 हिस्सा निहित है जिसके बाबत् विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री में किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 02.12.2014 को विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की है । विभाजन की अंतिम डिक्री जिस रिपोर्ट के आधार पर पारित की गई है उसका अवलोकन किया गया । इस रिपोर्ट को पटवारी हल्का के द्वारा तैयार किया गया है जबकि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के अनुसार तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने चाहिए । विभाजन प्रस्ताव में पक्षकारान की उपस्थिति भी दर्ज नहीं की गई है और प्रतिवादीगण को आपत्ति पेश करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी करने में त्रुटि की है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट संख्या 2016/00228 बाबत् प्रारम्भिक डिक्री खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03.08.2012 बहाल रखा जाता है । अपील अपीलान्ट संख्या 2016/00229 बाबत् अंतिम डिक्री आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय

एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.12.2014 निरस्त किया जाता है । अंतिम डिक्री बाबत् प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि तहसील से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 06.09.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 20.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2016/00228

लटूर आत्मज किशना आयु 60 साल जाति मेघवाल निवासी उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलार्थी

बनाम

1. कंचन बाई पुत्री किशना पत्नी चौथमल आयु 40 वर्ष जाति मेघवाल निवासी उकल्दा तहसील दीगोद हाल निवासी राजनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2. हनुमान आत्मज किशना जाति मेघवाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
   2/1. त्रिलोक आत्मज हनुमान ।
   2/2. गोलू आत्मज हनुमान नाबालिग।
   2/3. चेतन आत्मज हनुमान नाबालिग जरिये वलिया माता मंजू बेवा हनुमान ।
   2/4. मंजू बेवा हनुमान जाति मेघवाल निवासी उकल्दा ।
   2/5. राजेश पुत्री हनुमान पत्नी कुलदीप जाति मेघवाल निवासी उम्मेदपुरा तहसील दीगोद ।
3. गोरधन आत्मज किशना जाति मेघवाल निवासी उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी बोरखेडा कोटा ।
4. पुष्पा बेवा किशना जाति मेघवाल निवासी उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा
5. रतन लाल आत्मज मोड्डू (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
   5/1. महावीर आत्मज रतन लाल
   5/2. मन्नालाल आत्मज रतन लाल
   5/3. सोहन बाई पुत्री रतन लाल ।
6. रामकरण आत्मज मोड्डू जाति मेघवाल निवासी राजनगर ।
7. मूल चन्द आत्मज मोड्डू जाति मेघवाल निवासी उकल्दा ।
8. केली पुत्री मोड्डू पत्नी लटूरलाल जाति मेघवाल निवासी चावण्ड हेडी ।
9. आनन्दी पुत्री मोड्डू पत्नी गणेश राम जाति मेघवाल निवासी सुहाना ।
10. उर्मिला पुत्री मोड्डू पत्नी गोविन्दा जाति मेघवाल निवासी ताथेड तहसील लाडपुरा ।
11. नवल किशोर आत्मज जगन्नाथ ।
12. गिर्राज आत्मज जगन्नाथ ।

13. सुरेश आत्मज जगन्नाथ ।
14. रामावतार आत्मज जगन्नाथ जाति मेघवाल निवासीगण उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
15. सुमित्रा पुत्री जगन्नाथ पत्नी कन्हैया लाल जाति मेघवाल निवीस गंगाईचा तहसील लाडपुरा ।
16. निर्मला पुत्री जगन्नाथ पत्नी बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी उकल्दा तहसील दीगोद ।
17. मनभर पुत्री जगन्नाथ जाति मेघवाल निवासी कापरेन जिला बून्दी ।
18. नट्टी बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी केदार लाल जाति मेघवाल निवासी नाथू बलाई की झौपडियॉ तहसील दीगोद जिला कोटा ।
19. रामी बाई बेवा जगन्नाथ जाति मेघवाल निवासी उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
20. चतुर्भुज आत्मज कालू जाति धोबी निवासी उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा
21. कमला बाई पुत्री अमरलाल जाति बलाई ।
22. ज्योति बाई पुत्री अमर लाल जाति बलाई निवासीगण कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
23. महावीर प्रसाद आत्मज लटूर जाति मेघवाल ।
24. जितेन्द्र कुमार आत्मज लटूर जाति मेघवाल निवासीगण उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
25. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय दिनांक एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.08.2012 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 455/दावा/2009

कंचन बाई पुत्री किशना पत्नी चौथमल आयु 40 वर्ष जाति मेघवाल निवासी उकल्दा तहसील दीगोद हाल निवासी राजनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

––वादी

बनाम

1. हनुमान आत्मज किशना ।
2. लटूर आत्मज किशना ।

3. गोरधन आत्मज किशना जाति मेघवाल निवासी उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी बोरखेडा कोटा ।
4. पुष्पा बेवा किशना
5. रतन लाल आत्मज मोडू (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   5/1. महावीर आत्मज रतन लाल
   5/2. मन्ना लाल आत्मज रतनलाल ।
   5/3. बिरधी बाई बेवा रतन लाल ।
   5/4. सोहन लाल पुत्री रतन लाल ।

6. रामकरण आत्मज मोडू जाति मेघवाल निवासी राजनगर ।
7. मूल चन्द आत्मज मोडू जाति मेघवाल निवासी उकल्दा ।
8. केली पुत्री मोडू पत्नी लटूरलाल जाति मेघवाल निवासी चावण्ड हेडी ।
9. आनन्दी पुत्री मोडू पत्नी गणेश राम जाति मेघवाल निवासी सुहाना ।
10. उर्मिला पुत्री मोडू पत्नी गोविन्दा जाति मेघवाल निवासी ताथेड तहसील लाडपुरा ।
11. नवल किशोर आत्मज जगन्नाथ ।
12. गिर्राज आत्मज जगन्नाथ ।
13. सुरेश आत्मज जगन्नाथ ।
14. रामावतार आत्मज जगन्नाथ जाति मेघवाल निवासीगण उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
15. सुमित्रा पुत्री जगन्नाथ पत्नी कन्हैया लाल जाति मेघवाल निवीस गंगाईचा तहसील लाडपुरा ।
16. निर्मला पुत्री जगन्नाथ पत्नी बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी उकल्दा तहसील दीगोद ।
17. मनभर पुत्री जगन्नाथ जाति मेघवाल निवासी कापरेन जिला बून्दी ।
18. नट्टी बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी केदार लाल जाति मेघवाल निवासी नाथू बलाई की झौपडियॉ तहसील दीगोद जिला कोटा ।
19. रामी बाई बेवा जगन्नाथ जाति मेघवाल निवासी उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
20. चतुर्भुज आत्मज कालू जाति धोबी निवासी उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा
21. कमला बाई पुत्री अमरलाल जाति बलाई ।
22. ज्योति बाई पुत्री अमर लाल जाति बलाई निवासीगण कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
23. महावीर प्रसाद आत्मज लटूर जाति मेघवाल ।
24. जितेन्द्र कुमार आत्मज लटूर जाति मेघवाल निवासीगण उकल्दा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
25. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.08.2012 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 20.07.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर,एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री उत्पल शर्मा के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट संख्या 2016/00228 बाबत् प्रारम्भिक डिक्री खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03.08.2012 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 20.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

20/7/2021

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.